पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

फूलन रानी और अन्य

3 अगस्त 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठाक्कर, जे.जे.]

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987- धारा 20(3) एवं (5)- लोक अदालत- क्षेत्राधिकार पेंशन- प्रदान करने के संबंध में मामला। लोक अदालत/धारणा की अनुमति पर: लोक अदालत किसी मामले का समझौता या निपटान के माध्यम से निपटारा कर सकती है। मामले में समझौता या निपटाने के माध्यम से- का प्रश्न शामिल नहीं है लोक अदालत द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता है।

शब्दों और वाक्यांशों:

'समझौता' और 'निपटारा'- धारा 20, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के संदर्भ में अर्थ।

प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने पति के निधन पर पेंशन का दावा किया। इसे खारिज किये जाने पर उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। याचिका को लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और मामले का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निपटारा कर दिया गया। राज्य का

पुनर्विलोकन आवेदन लोक अदालत द्वारा मामले के निस्तारण को चुनौती दी गई, खारिज कर दी गई। इस तरह राज्य ने लोक अदालत द्वारा निस्तारण की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि लोक अदालत द्वारा उचित तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, प्रतिवादी नंबर 1 योग्यता के आधार पर राहत का हकदार था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता राज्य ने यह तर्क दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 में निहित विशिष्ट प्रावधान के अनुसार मामले का निपटारा लोक अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20, की उपधारा (3) में प्रयुक्त विशिष्ट भाषा यह स्पष्ट करता है कि लोक अदालत पार्टियों के बीच किसी मामले को समझौते या समझौते के जरिये निपटा सकती है।उक्त मामले में अगर कोई समझौता नहीं हो चुका है या समझौता नहीं या हो सकता है, निपटान और लोक अदालत द्वारा निपटारा नहीं किया जा सकता था। लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं हो सकता।

अतः रिट याचिका का निस्तारण कानून के अनुसार किया जाये। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया मामला अस्वीकार्य है। इसलिए,

उच्च न्यायालय को चाहिए प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर रिट याचिका को कानून के अनुसार बहाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

चूंकि मामला पेंशन से संबंधित है, लंबे समय से लंबित है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई रिट याचिका अपनी मूल स्थिति में बहाल की जाती है। (307- डी- ई; 307- एफ- जी]

2. 'समझौता' शब्द का अर्थ मतभेदों का निपटारा आपसी रियायतों से करना है। यह मांगों के पारस्परिक संशोधन द्वारा परस्पर विरोधी या विरोधी दावे के समायोजन द्वारा प्राप्त एक समझौता है "समझौता" शब्द का तात्पर्य समायोजन के कुछ तत्व से है। पूर्ण समर्पण का वर्णन करना उपयुक्त नहीं है। "निपटान" आपसी सहमति से कानूनी कार्यवाही की समाप्ति है। (307- ई- एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4718/2004.

पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की सिविल रिट याचिका संख्या 4708/2002 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.5.2003 से।

सरूप सिंह, सीनियर ए.ए.जी और आर.एस. रुरी अपीलकर्ताओं के लिए।

एस.डी. शन्ना, सतिंदर एस. गुलाटी, डॉ. कैलाश चंद और बलबीर सिंह गुप्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय, अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

अनुमति स्वीकृत।

एक साधारण मामला अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है जिसके निपटारे में अत्यधिक देरी हुई है।

एक रिट याचिका संख्या 13555/1994 प्रतिवादी संख्या 1 फूलन रानी द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने अपने पति, जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, की मृत्यु के बाद देय पेंशन का दावा किया था। स्वर्गीय मोहिंदर की सेवाएँ सिंह वालिया को वर्ष 1983 में कुछ समय के लिए बर्खास्त कर दिया गया था कि ट्यूबवेल पंजाब सिंचाई विभाग को पंजाब स्टेट ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) में स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि, उच्च पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दिवंगत मोहिंदर सिंह वालिया, को दोबारा नियुक्त करने का निर्देश दिया। और परिणामस्वरूप उन्हें पंजाब राज्य ट्रयूबवेल कॉर्पोरेशन में समाहित कर लिया गया। फूलन देवी के मुताबिक उनके पति 1989 में सेवानिवृत्ति के बाद 18.12.1992 की मौत हो गई। निगम और राज्य द्वारा अस्वीकार किए जाने पर, उसने एक सिविल रिट याचिका 13555/94 दायर की जो 18.1.2000 को लोक अदालत द्वारा निस्तारित होने के लिए आया था।पंजाब राज्य ने यह रुख अपनाते हुए एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया., ठीक से, कार्यवाही में प्रतिनिधित्व नहीं किया। किसी भी प्रकरण में पेंशन की पात्रता के बारे में रिट याचिका लोक अदालत द्वारा निस्तारण नहीं हो सकती थी

पर 8.9.2000. को याचिका खारिज कर दी गई। पंजाब राज्य द्वारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। लोक अदालत द्वारा निपटान की वैधता पर सवाल उठाया।रिट याचिका को सिविल रिट याचिका संख्या 4708/2002 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि निपटान द्वारा लोक अदालत उचित तरीका नहीं था, फिर भी प्रतिवादी 1 इसमें राहत का हकदार था।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया यह देखते हुए कि मामले का निपटारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत लोक अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता था।

विपरीत , श्री एस.डी. शर्मा, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर सही कार्यवाही की है भले ही वहां लोक अदालत से मामले का निपटारा नहीं हो पाता इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अंतिम परिणाम में वह पेंशन की हकदार थी।

जिन मामलों को लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जा सकता है। अधिनियम की धारा 20 में गिना गया है जो इस प्रकार है:

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान:-

(1) जहां किसी भी मामले में धारा 19- 1 [20 की उप- धारा (5) के खंड (i) में संदर्भित किया गया है। लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान- (1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में-

(i) (ए) उसके पक्ष सहमत हैं; या

(बी) उनमें से एक पक्ष मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत में भेजने के लिए अदालत में आवेदन करता है और यदि ऐसी अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते की संभावना है; या

(ii) अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए उपयुक्त है, अदालत मामले को लोक अदालत में भेज देगी:

बशर्ते कि कोई भी मामला उप- धारा के तहत लोक अदालत में नहीं भेजा जाएगा। (बी) खंड (i) या खंड (ii) के ऐसे न्यायालय द्वारा पार्टियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा।

(2) तत्समय प्रवत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकारी या समिति, किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर, धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट मामले को लोक अदालत द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है, ऐसे मामले को निर्धारण के लिए लोक

अदालत में संदर्भित करें: बशर्ते कि कोई भी मामला लोक अदालत को संदर्भित नहीं किया जाएगा। लोक अदालत दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा।

(3) जहां किसी मामले को उपधारा (1) के तहत लोक अदालत में भेजा जाता है या जहां उपधारा (2) के तहत इसका संदर्भ दिया गया है, लोक अदालत मामले या मामले के निपटारे के लिए आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी पार्टियों के बीच समझौता या समझौता।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत अपने समक्ष किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पार्टियों के बीच समझौता या समझौता करने के लिए अत्यंत शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पार्टियों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं हो सका है, मामले का रिकॉर्ड अदालत को वापस कर दिया जाएगा, जहां से संदर्भ प्राप्त हुआ है उपधारा (1) कानून के अनुसार निपटान हेतु।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले में पार्टियों के बीच कोई

समझौता या समझौता नहीं हो सका है, वह लोक अदालत पार्टियों को सलाह देगी कि वे तलाश करें अदालत में उपाय।

(7) जहां मामले का रिकॉर्ड उप- धारा (5) के तहत अदालत को लौटाया जाता है, ऐसी अदालत ऐसे मामले से निपटने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जो उप- धारा (1) के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंच गया था।

धारा 20 की उपधारा (3) में प्रयुक्त विशिष्ट भाषा स्पष्ट बनाती है कि लोक अदालत किसी मामले का निपटारा पार्टियों के बीच समझौते के माध्यम से कर सकती है। धारा 20 के उपधाराओं (3) और (5) में दो महत्वपूर्ण शब्द "समझौता" और "निपटारा" हैं। "समझौता" का अर्थ है आपसी रियायतों से मतभेदों का निपटारा। यह परस्पर विरोधी या विरोधी दावों के समायोजन से हुआ समझौता मांगों का पारस्परिक संशोधन है. टर्म्स डे ला ले के अनुसार, "समझौता दो या दो से अधिक पार्टियों का आपसी वादा है जो विवाद में हैं।बाउवियर के अनुसार यह "दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है, जिनहे एक कानूनी मुकदमा से बचना है और वोअपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से उन शर्तों पर सुलझाएं, जिन पर वे सहमत हो सकते हैं"। शब्द "समझौता" का तात्पर्य समायोजन के कुछ तत्व से है। पूर्ण समर्पण का वर्णन करना उपयुक्त नहीं है। (रे एनएफयू डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, [1973] 1 सभी ईआर 135

Ch.D)। एक समझौता हमेशा द्विपक्षीय और मतलब आपसी समायोजन है। "सेटलमेंट" आपसी सहमति से कानूनी कार्यवाही की समाप्ति है। उक्त प्रकार समझौता या समझौता नहीं था और लोक अदालत द्वारा निस्तारण नहीं किया जा सकता था। यदि कोई समझौता या समझौता नहीं हुआ है या नहीं हो सकता है, तो कोई आदेश नहीं लोक अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है। अत: रिट का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर याचिका संख्या 13555/1994 स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

रिट याचिका 4708/2002 में चुनौती लोक अदालत द्वारा मामलों के निपटान की शक्तियों से संबंधित है, जिसके लिए यह अपील की गई है मामले का निपटारा लोक अदालत, द्वारा नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय को रिट की बहाली का निर्देश दिया जाता है। और फूलन देवी द्वारा दायर याचिका यानी सिविल रिट याचिका संख्या 13555/1994 विधि के अनुसार निस्तारित कि जावे।

प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने कहा राज्य और निगम द्वारा स्टैंड गलत लिया गया है। यह धारा 20 का उपधाराओं (3) और (5) निहित स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए वास्तव में परिणाम नहीं है।

अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपील की अनुमति देनी होगी। आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिया गया है। इससे संबंधित मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेंशन लंबे समय से लंबित है। रिट

याचिका 13555/94 को यथास्थान बहाल किया जाए। उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिका का निस्तारण किया जावे।

उपरोक्त शर्तों के संबंध में बिना किसी खर्चा के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गरिमा चोधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।